



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 203-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017 (KARTIKA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 नवम्बर, 2017

संख्या 131/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जिससे उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है और जो किसी वित्तीय वर्ष में बीस लाख की राशि से अनधिक अखिल भारतीय आधार पर संगणित किए जाने वाले संकलित आवर्त रखते हों, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं का प्रदाय करने वाले व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूटप्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

आगे ऐसे प्रदायों का सकल मूल्य, जिसकी गणना अखिल भारतीय स्तर पर की जानी है, संविधान के अनुच्छेद 279 क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी के राज्यों" के मामले में, जम्मू तथा कश्मीर राज्य से भिन्न, दस लाख रुपये की राशि से अधिक नहीं होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd November, 2017

No. 131/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 23 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the persons making supplies of services, other than supplies specified under Sub-section (5) of Section 9 of the said Act through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act, and having an aggregate turnover, to be computed on all India basis, not exceeding an amount of twenty lakh rupees in a financial year, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act.

Further the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, shall not exceed an amount of ten lakh rupees in case of “special category States” as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.